

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-3
संख्या-4714/9-3-2012-75डब्लू/2012
लखनऊ: दिनांक: 18 दिसम्बर, 2012

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा के अधिशासी अभियन्ता/"ए" श्रेणी जलकल अभियन्ता की अन्तिम ज्येष्ठता सूची नगर विकास अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3183/9-3-96-256डब्लू/86टी.सी.(5) दिनांक 09 सितम्बर, 1996 द्वारा क्रमांक-1 से 31 तक निर्गत की गयी थी। उक्त ज्येष्ठता सूची के क्रम में वर्ष 1996 के बाद प्रोन्नत किये गये अधिशासी अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची क्रमांक-32 से 48 तक नगर विकास अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4447/9-3-03-256डब्लू/86टी.सी. दिनांक 17 दिसम्बर, 2003 द्वारा निर्गत की गयी थी। कालान्तर में उक्त दोनो ज्येष्ठता सूची में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता का (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2007 दिनांक 14.02.2007 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रोन्नत प्राप्त अभियन्ताओं को प्रोन्नति की तिथि से परिणामिक ज्येष्ठता प्रदान किये जाने एवं नगर विकास अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 21.09.2007 द्वारा 09 अधिशासी अभियन्ताओं को उनसे कनिष्ठ श्री राम भरोस सिंह व अन्य की नियमित पदोन्नति की तिथि दिनांक 17.10.1996 से दी गयी नियमित नोशनल पदोन्नति के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत की गयी ज्येष्ठता सूचियों में संशोधन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से अधिशासी अभियन्ताओं की पुनरीक्षित/संशोधित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची नगर विकास अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1864/9-3-08-256डब्लू/86टी.सी.(5) दिनांक 13.06.2008 द्वारा आपत्तियों/सुझावों हेतु प्रसारित की गयी।

2- तदनुक्रम में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-13/2-91-का-1/07 दिनांक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2007 के अवधारण के सिद्धान्तों को अंगीकार करते हुये, नगर विकास अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2354/9-3-08-256डब्लू/86टी.सी.(5) दिनांक 16, जुलाई, 2008 द्वारा उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा के अधिशासी अभियन्ताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत की गयी।

3- दिनांक 16-7-2008 को प्रख्यापित अधिशासी अभियन्ताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची एवं तदनुक्रम में महाप्रबन्धक के रिक्त पदों पर नियमित चयन के फलस्वरूप निर्गत पदोन्नति आदेश दिनांक 18-7-2008 से क्षुब्ध होकर श्री आलोक कुमार शर्मा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान, बांदा सम्प्रति महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-1056(एस/बी)/2008 योजित की गयी। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 15-5-2009 को अन्तिम आदेश पारित किये गये, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है:-

"-----In the result the writ petition succeeds and is hereby allowed. A writ of certiorari is issued quashing the seniority list dated 16.7.2008 a copy of which has been annexed as Annexure-1 to the writ petition and the orders dated 18-7-2008 by which promotion has been granted to opposite parties 2 to 5 on the post of General Manager a copy of one such order has been annexed as Annexure-2 to the writ petition. The opposite party no.1 is



directed to reconsider the matter regarding promotion of the petitioner and other eligible candidates on the post of General Manager on the basis of the seniority list dated 09-09-1996 and 17-12-2003 in accordance with law, within three weeks from the date a certified copy of this order is produced and till the final decision is taken by the State Government, the petitioner shall be allowed to work on the post on which he was working prior to the impugned orders dated 18-07-2008.

Under the circumstance, there shall be no order as to costs"

4- मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित उक्त अन्तिम आदेश दिनांक 15-5-2009 के विरुद्ध मा० उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-15107/2009 उ०प्र० राज्य बनाम आलोक कुमार शर्मा व अन्य योजित की गयी। इसके अलावा मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 15-5-2009 को प्रभावित विपक्षीगण यथा सर्वश्री रामभरोस सिंह एवं आई०डी० पाण्डेय द्वारा भी एस०एल०पी० संख्या-18859/2009 के माध्यम से मा० सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28-8-2009 को उक्त दोनो एस०एल०पी० को एकजाई करते हुए निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

"Issue notice,

Mr. Sunil Kumar Jain accepts notice for respondent no.1 in both the matters. It is stated by him that he has been promoted in the meanwhile.

We direct issuance of **status quo** in the meanwhile."

5- उल्लेखनीय है कि उक्त वरिष्ठता सूची दिनांक 16-7-2008 को, जोकि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रख्यापित उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2007 अर्थात् नियम-8ए के अवधारण के सिद्धान्तों को अंगीकार करते हुए बनायी गयी थी, को किसी भी कार्मिक द्वारा मा० न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी। अधिशासी अभियन्ता की उक्त वरिष्ठता सूची दिनांक 16-7-2008 को अनारक्षित संवर्ग के कार्मिक (श्री आलोक कुमार शर्मा) द्वारा अपनी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण हेतु मा० उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी और मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2009 को उ०प्र० राज्य तथा प्रभावित विपक्षीगण यथा सर्वश्री रामभरोस सिंह एवं आई०डी० पाण्डेय द्वारा पृथक-पृथक विशेष अनुज्ञा याचिकाओं के माध्यम से मा० सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी, जिसे मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2011 द्वारा खारिज (Dismissed) कर दिया गया है। प्रकरण में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2011 निम्नवत् है:-

"We have heard the learned counsel for the parties.

We find that no interference is called for in the matters. The special Leave petitions are, accordingly, dismissed."

6- इस प्रकार मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 30-9-2011 के फलस्वरूप विधिक रूप से रिट याचिका संख्या-1056(एस/बी)/2008 आलोक कुमार शर्मा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-5-2009 अन्तिम एवं प्रभावी हो जाने के आधार पर याची श्री आलोक कुमार शर्मा, महाप्रबन्धक (जल) द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 21.11.2011 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2887/9-3-2012-56डब्लू/2010, दिनांक 12.09.2012 द्वारा श्री आलोक कुमार शर्मा, महाप्रबन्धक (जल) को उनसे कनिष्ठ श्री बी०के० पाण्डेय व अन्य की महाप्रबन्धक के पद पर दिनांक 18.07.2008 से की गयी पदोन्नति की तिथि से महाप्रबन्धक के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश निर्गत किया गया। इस प्रकार रिट याचिका संख्या-1056(एस/बी)/2008 आलोक कुमार शर्मा बनाम उ०प्र० राज्य

व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-5-2009 व तदनुक्रम में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या- 15107/2009 व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-18859/2009 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2011 के समादर में उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा के अधिशासी अभियन्ता/"ए" श्रेणी जलकल अभियन्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत की गयी अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 16.07.2008 को निरस्त करते हुए संशोधन की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

7- इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या- 2608/2011 व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-4030/2011 में विस्तृत सुनवाई के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 27.04.2012 को अन्तिम निर्णय/आदेश पारित किये गये है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है:-

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule 8-A of the 2007 rules are ultra-vires as they run counter to the dictum in M.Nagaraj (Supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indira Sawhney (sopra) and without the aid or assistance of section 3(7) and rule 8A shall remain undisturbed."

8- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के समादर में कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश संख्या- 4/1/2002टीसी-1-का-2/2012 दिनांक 08 मई, 2012 व सपटित शासनादेश संख्या- 4/1/2002टीसी-1-का-2/2012 दिनांक 13 मई, 2012 निर्गत किया गया है। कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 13.05.2012 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित बिन्दु सं0-6(ख)(ब) में पदोन्नति करने के उद्देश्य से ज्येष्ठता सूचियों के बारे में यह निर्देश प्रसारित किया गया है कि पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुये ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली-1991 के प्राविधानानुसार ज्येष्ठता सूचियों को संशोधित कर अन्तिम रूप दे दिया जाय व तदोपरान्त इन ज्येष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

इस प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 08.05.2012 एवं दिनांक 13.05.2012 को निर्गत किये गये विभिन्न शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करते हुये नगर विकास अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या- 4637/9-3-12-75डब्लू/2012, दिनांक 08.12.2012 द्वारा उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अनुसार केन्द्रीयित सेवाओं में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा-संशोधित 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991' के अनुसार अवधारित की जायेगी।

9- इसके अतिरिक्त कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-13/2/91-टी.सी.-का-1-2012 दिनांक 08 मई, 2012 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-4/1/2002टी.सी.-11-का-2/2012 दिनांक 08 मई, 2012, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) को निकाले जाने के सम्बन्ध में विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना दिनांक 07 मई, 2012, को प्रसारित किया गया है, में निहित प्राविधानानुसार, उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा के अधिशासी/सहायक अभियन्ताओं की पूर्व में निर्गत की गयी पृथक-पृथक अन्तिम ज्येष्ठता सूचियों को एकजाई करते हुये 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार ज्येष्ठता सूचियों को संशोधित कर अन्तिम रूप दिये जाने के उद्देश्य से संशोधन की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

10- उक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि उ०प्र० पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा के सहायक अभियन्ता / "बी" श्रेणी जलकल अभियन्ता की अन्तिम ज्येष्ठता सूची नगर विकास अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2687/9-3-96-63डब्लू/96, दिनांक 12 सितम्बर, 1996 द्वारा क्रमांक-1 से 116 तक निर्गत की गयी थी। उक्त ज्येष्ठता सूची के क्रम में वर्ष 1997 के बाद प्रोन्नत/सीधी भर्ती के माध्यम से आये सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची क्रमांक-117 से 140 तक नगर विकास अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2693/9-3-03-94मिस/2001, दिनांक 01 फरवरी, 2003 द्वारा निर्गत की गयी थी। इस सम्बन्ध में उ०प्र० पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण(केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के फलस्वरूप अब उ०प्र० पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण(केन्द्रीयित) सेवा संवर्ग के कार्मिकों की ज्येष्ठता का अवधारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार अवधारित किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार नगर विकास अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-4637/9-3-12-75डब्लू/2012, दिनांक 08.12.2012 द्वारा प्रख्यापित उ०प्र० पालिका एवं जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 में निहित प्राविधान/व्यवस्था के अनुसार, उ०प्र० पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा के अधिशासी अभियन्ता की पूर्व में निर्गत की गयी ज्येष्ठता सूची क्रमशः दिनांक 09.09.1996 व दिनांक 17.12.2003 तथा सहायक अभियन्ता की पूर्व में निर्गत की गयी ज्येष्ठता सूची क्रमशः दिनांक 12.09.1996 व दिनांक 01.02.2003 को एकजाई कर संशोधित करते हुये उसके स्थान पर, वर्तमान में उक्त सेवा में कार्यरत कार्मिकों की संवर्ग के मौलिक पद अर्थात् सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति के दिनांक से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के उद्देश्य से, संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

11- उ०प्र० पालिका एवं जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा के सहायक अभियन्ता / "बी" श्रेणी जलकल अभियन्ता की कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2693/9-3-03-94 मिस/2001, दिनांक 01 फरवरी, 2003 द्वारा निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-130, 131, 132, 133, 135, 137, 138 पर अंकित क्रमशः श्री बलजीत (अनु० जाति), श्री पारितोष सिंह (अनु० जाति), श्री प्रकाश चन्द्र (अनु० जाति), श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह (अनु० जाति), श्री रमाशंकर राय (अनु० जाति), श्री अशोक कुमार वर्मा (अनु० जाति), श्री धर्मेन्द्र कुमार (अनु० जाति) जो वर्तमान में इस सेवा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत नहीं हैं, उन्हें एक अन्तिम अवसर इस आशय से प्रदान किया जा रहा है कि यदि वह इस सेवा संवर्ग में कार्य करने के इच्छुक हों और उनका लियन इस सेवा संवर्ग में आज तक विद्यमान हो, तो वह इस संबंध में अपनी आपत्ति सत्यता सिद्ध करने हेतु यथेष्ट लिखित प्रमाण/अभिलेख सहित निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध करायें, अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि वह इस सेवा के अन्तर्गत कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उनकी वरिष्ठता सूची से नाम विलोपित कर दिया जायेगा।

12- वरिष्ठता सूची के निर्धारण में उ०प्र० पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 (यथा संशोधित-2012) के नियम-26 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-13/2/91-टी०सी०-का-1-1991, दिनांक 20 मार्च, 1991 द्वारा प्रख्यापित उ०प्र० सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-13/2/91-टी.सी.-का-1-2012 दिनांक 08 मई, 2012 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-4/1/2002टी.सी.-॥-का-2/2012 दिनांक 08 मई, 2012, द्वारा प्रसारित विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना दिनांक 07 मई, 2012, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन), अध्यादेश, 2012 लागू किये जाने से सम्बन्धित है, तथा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 के समादर में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 08.05.2012 एवं 13.05.2012 को निर्गत

किये गये विभिन्न शासनादेशों में निहित निर्देशों के अवधारण के सिद्धान्तों को अंगीकार करते हुए पूर्व में सहायक अभियन्ता/“बी” श्रेणी जलकल अभियन्ता की निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूचियों क्रमशः दिनांक 12-09-1996 एवं दिनांक 01-02-2003 के आधार पर इस सेवा संवर्ग में कार्यरत अभियन्ताओं की, संवर्ग में मौलिक पद अर्थात् सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति के दिनांक से ज्येष्ठता अवधारित करते हुये पुनरीक्षित/संशोधित अन्तिम ज्येष्ठता सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर आपत्तियों एवं सुझावों हेतु प्रकाशित की जा रही है।

13- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त सूची की एक प्रति इस अनुदेश के साथ उपलब्ध करा दें कि यदि उक्त सूची में छपे अपने नाम, वरिष्ठता क्रम तथा अन्य विवरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो उन्हें उचित माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत करें कि आपत्तियां/सुझाव दिनांक 28/12/2012 तक शासन को अवश्य प्राप्त हो जाय तथा प्रेषित आपत्ति/आपत्तियों की एक प्रति सीधे शासन को भी पृष्ठांकित कर दें। संवर्ग के सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी सूचित कर दिया जाय कि उनके द्वारा इंगित त्रुटियों एवं आपत्तियों की सत्यता सिद्ध करने हेतु यथेष्ट लिखित प्रमाण/अभिलेख भी आपत्तियों के सम्बन्ध में भेजना आवश्यक है। निर्धारित तिथि तक आपत्तियां प्राप्त होने पर ही आपत्तियों पर विचार करने के बाद इस ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

14- संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची का अवलोकन नगर विकास विभाग की वेबसाइट <http://urbandevdevelopment.up.nic.in> पर किया जा सकता है।

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ/निदेशक, सीएण्डडीएस उ०प्र० जल निगम, लखनऊ, ।
3. समस्त मण्डलायुक्त।
4. समस्त जिलाधिकारी।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
6. समस्त महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, उ०प्र०/महाप्रबन्धक, झॉसी डिवीजन जल संस्थान, झॉसी/चित्रकूटधाम मण्डल, जल संस्थान बांदा।
7. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डी०आई०जी कालोनी, मकबूल आलम रोड, जनपद वाराणसी।
8. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
18/12/2012
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

**नगर विकास अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4714 /9-3-2012-75डब्लू/2012,
दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 का संलग्नक।**

क्रमांक	अभियंता का नाम (सर्वश्री)	गृह जनपद	जन्म तिथि	शैक्षिक/ तकनीकी योग्यता	संवर्ग के मौलिक पद अर्थात् सहायक अभियंता के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	वर्तमान		अभ्युक्ति
						पद	नियुक्ति की तिथि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आलोक कुमार शर्मा	बुलन्दशहर	30.12.1952	बी.टेक.	14.11.1978	महाप्रबंधक	18.07.2008	
2	बी०के० पाण्डेय	गोरखपुर	01.11.1955	बी.ई.	31.01.1979	महाप्रबंधक	18.07.2008	
3	अनिल कुमार जायसवाल	इलाहाबाद	24.11.1951	बी.ई.	01.06.1979	महाप्रबंधक (से०नि०)	14.08.2008	सेवानिवृत्त
4	राम भरोस सिंह	गोरखपुर	02.01.1955	बी.ई.	01.09.1979	महाप्रबंधक	18.07.2008	
5	आई०डी० पाण्डेय	गाजीपुर	01.01.1956	बी.ई.	03.09.1980	महाप्रबंधक	18.07.2008	
6	आलोक भौमिक	इलाहाबाद	26.08.1946	डिप्लोमा	14.07.1981	अधिकांश अभियंता (से०नि०)	10.04.2006	सेवानिवृत्त
7	मंजूर अहमद	आजमगढ़	01.04.1948	डिप्लोमा	14.07.1981	अधिकांश अभियंता (से०नि०)	10.04.2006	सेवानिवृत्त
8	अशोक कुमार श्रीवास्तव	इलाहाबाद	15.11.1951	ए.एम.आई. ई.	17.07.1981	अधिकांश अभियंता (से०नि०)	10.04.2006	सेवानिवृत्त
9	राजीव कुमार बाजपेयी	हरदोई	30.06.1956	बी.ई.	08.02.1982	अधिकांश अभियंता	10.04.2006	
10	जवाहर राम	आजमगढ़	05.08.1958	बी.ई.	22.12.1984	महाप्रबंधक	10.04.2006	(अनु०जाति०)
11	श्रीमती मंजूरानी गुप्ता	अलीगढ़	30.06.1961	बी.ई.	22.12.1984	अधिकांश अभियंता	10.04.2006	
12	अमरनाथ श्रीवास्तव	देवरिया	13.04.1960	बी.ई.	22.12.1984	अधिकांश अभियंता	12.04.2006	
13	प्रमोद कुमार	सीतापुर	09.02.1961	बी.ई.	22.12.1984	अधिकांश अभियंता	12.04.2006	
14	राजपूजन वर्मा	फैजाबाद	12.10.1956	बी.ई.	22.12.1984	अधिकांश अभियंता	12.04.2006	
15	संजीव रामचन्द्र	बरेली	18.06.1958	बी.ई.	22.12.1984	अधिकांश अभियंता	17.07.2006	
16	मदन लाल	अम्बेडकरनगर	05.11.1958	बी.ई.	22.12.1984	अधिकांश अभियंता	31.01.2007	
17	शैलेन्द्र कुमार वर्मा	गोरखपुर	30.06.1962	बी.ई.	22.12.1984	अधिकांश अभियंता	24.07.2008	
18	प्रेमनाथ सिंह यादव	गाजीपुर	01.02.1955	बी.ई.	22.12.1984	अधिकांश अभियंता	24.07.2008	
19	विशुद्धानन्द द्विवेदी	देवरिया	30.08.1961	बी.ई.	22.12.1984	अधिकांश अभियंता	24.07.2008	
20	धीरज सिंह	इलाहाबाद	01.10.1956	एम.टेक.	22.12.1984	अधिकांश अभियंता	24.07.2008	
21	रक्षपाल सिंह	गोण्डा	20.12.1959	बी.ई.	22.12.1984	अधिकांश अभियंता	24.07.2008	प्रतिनियुक्ति पर सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ
22	राधेश्याम मौर्य	जौनपुर	05.03.1956	बी.ई.	22.12.1984	अधिकांश अभियंता	24.07.2008	
23	बलराम सिंह	प्रतापगढ़	15.06.1960	बी.ई.	01.02.1985	अधिकांश अभियंता	24.07.2008	
24	संजय कुमार	आगरा	10.05.1960	बी.ई.	01.02.1985	अधिकांश	24.07.2008	

8

क्रमांक	अभियंता का नाम (सर्वश्री)	गृह जनपद	जन्म तिथि	शैक्षिक/ तकनीकी योग्यता	संवर्ग के मौलिक पद अर्थात् सहायक अभियंता के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	वर्तमान		अभ्युक्ति
						पद	नियुक्ति की तिथि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						अभियंता		
25	बृजेश कुमार सिंह	गाजीपुर	01.12.1960	बी.ई.	01.02.1985	अधिकासी अभियंता	24.07.2008	
26	सत्य प्रकाश श्रीवास्तव	बांदा	30.04.1962	बी.ई.	01.02.1985	अधिकासी अभियंता	24.07.2008	
27	अखिलेश्वर	पटना	12.03.1955	बी.ई.	01.02.1985	अधिकासी अभियंता	24.07.2008	
28	शैलेन्द्र कुमार पाठक	आजमगढ़	01.07.1960	बी.ई.	01.02.1985	अधिकासी अभियंता	24.07.2008	
29	वी०के० गुप्ता	बलिया	01.09.1957	बी.ई.	01.02.1985	अधिकासी अभियंता	24.07.2008	
30	राधेश्याम सक्सेना	हमीरपुर	08.08.1960	बी.ई.	01.02.1985	अधिकासी अभियंता	14.08.2008	
31	राजेश कुमार यादव	मैनपुरी	10.10.1962	बी.ई.	31.07.1986	अधिकासी अभियंता	14.08.2008	
32	कंवल कुमार शर्मा	इलाहाबाद	25.07.1949	डिप्लोमा	23.01.1987	अधिकासी अभियंता (से०नि०)	14.08.2008	सेवानिवृत्त
33	सुचिन्द्र कुमार शर्मा	बुलन्दशहर	01.01.1961	बी.ई.	02.12.1991	सहायक अभियंता		
34	राधेश्याम यादव	आजमगढ़	05.03.1965	बी.ई. सि.	02.12.1991	अधिकासी अभियंता	14.08.2008	
35	नीरज गौड़	देवरिया	07.08.1962	एम.ई.	02.12.1991	अधिकासी अभियंता	14.08.2008	प्रतिनियुक्ति पर एनएचएआई
36	रतन लाल	खीरी	04.12.1960	ए.एम.आई. ई.	24.03.1995	महाप्रबन्धक	10.04.2006	(अनु०जाति०)
37	बाबू लाल	वाराणसी	25.07.1953	डिप्लोमा	14.02.1997	महाप्रबन्धक	18.07.2008	(अनु०जाति०)
38	राम समुझ	गोरखपुर	15.03.1952	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिकासी अभियंता (से०नि०)	26.02.2010	सेवानिवृत्त (अनु०जाति०)
39	महेश चन्द्र	इटावा	05.02.1957	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिकासी अभियंता	09.05.2003	(अनु०जाति०)
40	महेश चन्द्र जरारी	आगरा	14.04.1955	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिकासी अभियंता	26.02.2010	(अनु०जाति०)
41	निन्मूल चौधरी	मथुरा	01.12.1957	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिकासी अभियंता	09.05.2003	(अनु०जाति०)
42	जागेश्वर प्रसाद जयन्त	रामपुर	01.07.1955	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिकासी अभियंता	09.05.2003	(अनु०जाति०)
43	माधव राम	हरदोई	01.07.1955	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिकासी अभियंता	12.04.2006	(अनु०जाति०)
44	सुरेश चन्द्र	आजमगढ़	01.01.1962	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिकासी अभियंता	12.04.2006	(अनु०जाति०)
45	रमेश चन्द्र	बांदा	30.03.1963	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिकासी अभियंता	14.08.2008	(अनु०जाति०)
46	राजेन्द्र कुमार	अल्मोड़ा	30.11.1957	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिकासी अभियंता	26.02.2010	(अनु०जाति०)
47	हरिश्चन्द्र वाल्मिकी	बहराइच	17.07.1962	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिकासी अभियंता	14.08.2008	(अनु०जाति०)
48	ओम प्रकाश वर्मा	झांसी	01.02.1957	डिप्लोमा	14.02.1997	सहायक अभियंता	—	(अनु०जाति०)
49	महाराजदीन	रायबरेली	31.12.1954	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिकासी अभियंता	14.08.2008	(अनु०जाति०)

क्रमांक	अभियंता का नाम (सर्वश्री)	गृह जनपद	जन्म तिथि	शैक्षिक/ तकनीकी योग्यता	संवर्ग के मौलिक पद अर्थात् सहायक अभियंता के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	वर्तमान		अभ्युक्ति
						पद	नियुक्ति की तिथि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	रघुवेन्द्र कुमार	मुजफ्फरनगर	12.07.1971	बी.टेक.	12.01.1999	सहायक अभियंता	—	(अनु०जाति०)
51	सन्तराम अहिरवार	हमीरपुर	03.02.1964	बी.ई. सि. एम.ई.	04.07.1998	सहायक अभियंता	—	(अनु०जाति०)
52	मनोज कुमार आर्य	हरदोई	04.04.1972	बी.ई. इले.	04.07.1998	सहायक अभियंता	—	(अनु०जाति०)
53	महेन्द्र चन्द्र आजाद	फिरोजाबाद	15.01.1965	बी.टेक. सि.	15.06.1999	सहायक अभियंता	—	(अनु०जाति०)
54	अभय राज मिश्र	सुल्तानपुर	01.10.1948	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
55	सैय्यद अली नकी जैदी	जौनपुर	05.02.1949	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
56	मुरारी लाल कुलश्रेष्ठ	आगरा	01.01.1950	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
57	सुनील कुमार सक्सेना	मथुरा	16.12.1950	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
58	शिव शंकर लाल श्रीवास्तव	गाजीपुर	01.02.1951	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
59	ज्ञानचन्द्र शर्मा	अलीगढ़	12.01.1952	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
60	अशोक कुमार राय	बलिया	14.08.1951	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
61	रघुवीर सिंह चौधरी	लखीमपुर	01.01.1956	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता	—	
62	रामचरन कनौजिया	हरदोई	13.01.1949	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
63	मो० रजा आब्दी	जौनपुर	01.01.1953	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता	—	
64	हरीश चन्द्र जायसवाल	उन्नाव	21.04.1950	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
65	राकेश चन्द्र गुप्ता	उन्नाव	01.04.1953	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता	—	
66	वीरेन्द्र सिंह कुशवाहा	फर्रुखाबाद	10.04.1952	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
67	सतीश कुमार पाण्डेय	अल्मोड़ा	20.04.1953	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता	—	
68	कृष्ण अवतार शुक्ला	कानपुर देहात	01.01.1953	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता	—	
69	शिव नारायण शर्मा	इलाहाबाद	01.05.1949	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
70	विनय कुमार श्रीवास्तव	इलाहाबाद	10.12.1954	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता	—	
71	पी०सी० रिछारिया	झांसी	03.08.1949	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
72	शीलनिधि शुक्ला	बांदा	18.11.1953	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता	—	
73	सतीश चन्द्र शर्मा	अलीगढ़	06.04.1952	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
74	सुरेश शरण जौहरी	अलीगढ़	01.12.1952	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
75	सैय्यद नजमुल हसन	बस्ती	01.07.1952	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
76	दीपक सब्बरवाल	बांदा	26.06.1951	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त
77	सुधीर कुमार सक्सेना	बरेली	01.01.1952	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से०नि०)	—	सेवानिवृत्त

